न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 68/18 निर्णय दिनांकः– 21–01–2020
(आरसीएमएस सख्या 2018/00560)

1. उपवन सरंक्षक, इगानप स्टेज II बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. बृजमोहन सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 5 डीजेएम तहसील पूगल जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 23–10–2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
2. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 23–10–2018 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्व तरीके से ड्राप किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वन विभाग के नाम से उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के पत्रांक पी–5/उप/आबादी/82/बी/3842दिनांक 20–02–1982 द्वारा ग्राम अमरपुरा की 2931 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटित थी। जिस पर वन विभाग का आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वन विभाग का कब्जा काश्त है। मौके पर वन विभाग द्वारा सेना की प्रादेशिक ईकाई के सहयोग से वर्ष 1987–89 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वृक्षारोपण किया गया जोकि वर्तमान में बड़ें वृक्षों के रूप में मौजूद है। उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 21–02–1994 द्वारा प्रकाशन करते हुए उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित कर दी गई। उपरोक्त भूमि रकबें से चकों में परिवर्तित होने पर गैर विधिक रूप से 1375 बीघा भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वन विभाग से हटाकर आराजीराज दर्ज रिकार्ड कर दी गई व कालान्तर में उक्त भूमि अन्य काश्तकारों को आवंटित कर दी गई। इसी भूमि में से चक 3 एएमआर के मुरब्बा नम्बर 86/16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 86/15 के किला नम्बर 1 ता 17 की 17 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 42 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा गैर कानूनी रूप से भोमाराम पुत्र खेमाराम व अजीरखॉ पुत्र नजीर खॉ को आवंटित कर दी गई। जोकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय कर दी गई तथा कालान्तर में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। उक्त तमाम कार्यवाही में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना व मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना कार्यवाही की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति यह है कि जब वर्ष 1984 में उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित हो चुकी थी तब ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू हो जाने से वन अधिनियम के प्रावधान 2 के अनुसार वन भूमि का बिना भारत सरकार की सक्षम अनुमति के प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। राजस्व विभाग द्वारा बिना सक्षम अनुमति/वन विभाग की अनुमति के बिना ही उक्त भूमि को आराजीराज दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना अवैधानिक व गैरकानूनी है। अदालत मातहत के समक्ष तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि से पेड़ काटने की अनुमति चाही जाने पर दिनांक 25–07–2017 को 14 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त अनुमति की आड़ में 14 पेड़ के स्थान पर उक्त अनुमति से कहीं अधिक करीब 260 पेड़ काटे गये है। उक्त स्थिति सामने आने पर तहसीलदार जोकि भूमिधारक है, के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 83 व 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति से अधिक पेड़ काटने व बिना स्वीकृति के पेड़ों को उठाकर ले जाना धारा 83 से 86 के प्रावधानों का उल्लंधन होने के कारण शास्ति वसूल करने की इस्तदुआ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वनविभाग/तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 19–08–2017 व पेड़ काटने की अनुमति पत्र कमांक

राजस्थ अपील अधिकारी
बीकानेर

25–07–2017 की प्रति व अन्य तमाम आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। उक्त अनुमति पत्र दिनांक 25–07–2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को चक 3 एएमआर के मुरब्बा नम्बर 86/15 व मुरब्बा नम्बर 86/15 में से कमशः सात–सात पेड़ (कीकर) काटने की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रकरण में संबंधित नायब तहसीलदार, पटवारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अनुमति से कहीं अधिक पेड़ काटे गये है तथा इस आश्य की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। इसी प्रकार वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बृजमोहन सिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 86/15 व 86/16 से अनाधिकृत रूप से खेजड़ी के 249 पेड़ व रोहिड़ा के 18 वृक्ष काट का मौके से गायब कर दिये गये है। खेजड़ी जोकि राज्य वृक्ष है तथा जिसके कटान पर प्रतिबन्ध है। इसी प्रकार रोहिड़े को भी राज्य पुष्प धोषित किया जाकर उसके अवैध कटान पर प्रतिबन्ध है। अदालत मातहत के समक्ष इसप्रकार तमाम तथ्य उपलब्ध थे जिससे यह प्रथम दृष्टया ही साबित था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा राज्य सरकार की मंशा के विपरीत जाकर अवैध रूप से कटान का कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को नियमानुसार शास्ति कायम करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इसके विपरीत मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा फायदा पहुॅचानें के उद्वेश्य मात्र से तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 83 से 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ड्राप करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट/वनविभाग की अपील स्वीकार करते हुए आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व शास्ति कायम करते हुए वादग्रस्त भूमि वन भूमि का आवंटन निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कि वादग्रस्त भूमि चक 3 एएमआर के मुरब्बा नम्बर 86/16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 86/15 के किला नम्बर 1 ता 17 की 17 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 42 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा कमशः भोमाराम पुत्र खेमाराम व अजीरखॉ पुत्र नजीर खॉ को आवंटित कर दी गई। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त रहा। कालान्तर में उक्त भूमि आवंटियों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 31–01–16 व 06–01–17 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विकय कर दी गई तथा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 9 दिनांक 02–01–2017 व नामान्तरणकरण सख्या 10 दिनांक 05–02–2017 द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज की गई व कालान्तर में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्राप्त कर लिये गये। वादग्रस्त भूमि खरीद की दिनांक से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि से वन विभाग का कोई सरोकार नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि में से पेड़ काटने की अनुमति चाही जाने पर दिनांक 25–07–2017 को 14 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त अनुमति से ज्यादा पेड़ काटने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र पटवारी द्वारा रिपोर्ट को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व तमाम कार्यवाही किया जाना कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंधन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा कभी भी अनाधिकृत रूप से पेड़ की कटाई नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा यदि अनाधिकृत रूप से वृक्षों की कटाई की गई है तो तहसीलदार अथवा वन विभाग द्वारा उक्त तथाकथित कटाई किये गये वृक्षों की जब्ती की कोई कार्यवाही किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र यह अभिलिखित किये जाने से की उनके द्वारा अनुमति से अधिक वृक्षों की कटाई की गई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रकरण में तहसीलदार/वनविभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार दिनांक 19–08–17 की रिपोर्ट को बनाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त दिनांक के दो दिवस बाद पुनः फर्द मौका तैयार करने की आवश्यकता हुई इसको साबित करने में वे पूर्णतया असफल रहे है। प्रकरण में बिना आधारों के प्रस्तुत केवल मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की न्याय अनुमति प्रदान नहीं करता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों व धारा 83 से 86 आरटीए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार, पूगल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 83 से 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बृजमोहन सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत साकिन चक 5 डीजेएम

द्वारा अनुमति से अधिक पेड़ काटने पर शास्ति वसूल करने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होने पर प्रार्थना को ड्राप करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वनविभाग द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने पर आराजी जैर चक 3 एएमआर के मुरब्बा नम्बर 86/16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 86/15 के किला नम्बर 1 ता 17 की 17 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 42 बीघा भूमि कमशः भोमाराम पुत्र खेमाराम व अजीरखॉ पुत्र नजीर खॉ को आवंटित कर दी गई। उक्त आवंटन पश्चात् आवंटियों द्वारा तमाम राशि जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि आवंटियों के नाम दर्ज रही। कालान्तर में उक्त भूमि मूल आवंटियों अर्थात भोमाराम व अजीरखॉ द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31–01–16 व 06–01–17 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी गई तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा आवंटन की तमाम शर्तो की पूर्ति किये जाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये व जरिये नामान्तरणकरण संख्या 9 दिनांक 01–02–17 व नामान्तरणकरण सख्या 10 दिनांक 05–02–17 द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर गई।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व धारा 83 से 86 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके विरूद्व नियमानुसार शास्ति कायम करने की इस्तदुआ की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार मौका रिपोर्ट दिनांक 19–08–2017 को बनाया गया है। उक्त रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि **"मौके पर आज दिनांक को कोई पेड़ काटा हुआ नहीं मिला लेकिन कुछ दिन पूर्व में करीब 40 पेड़ कीकर काटने के निशान पाये गये।"** इस प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह कहीं भी अभिलिखित नहीं है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है। ना ही वन विभाग के अनुसार कटाई किये गये वृक्षों की लकड़ी ही बरामद की गई है। पूर्व में किसके द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है? क्या वास्तव में कीकर के पेड़ों की कटाई की गई है अथवा नहीं? यह तथ्य उक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते है। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे

साबित हो कि वादगत् भूमि पर क्या वास्तव में अनुमति से अधिक पेड़ों की कटाई का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौके पर वास्तव में वृक्ष कटाई का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है इसका भी उल्लेख पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी व वन विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान/ रिपोर्ट/हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व रेस्पोडेन्ट संख्या के विरूद्व प्रकरण को साबित करने के उद्वेश्य मात्र से तैयार की गई है।

यहॉ यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि पटवारी वन विभाग द्वारा की गई शिकायत पर मौके पर पहुॅचा। इस संबंध में हमारा अभिमत है संबंधित पटवारी जो उसी हल्के का पटवारी है, उसे वादगत् भूमि पर अवैध रूप से पेड़ कटान किये जाने की स्थिति की जानकारी पूर्व में ही होनी चाहिए थी तथा संबंधित पटवारी को ही उक्त आश्य की सूचना तहसीलदार को भूमि धारक होता है प्रेषित की जानी चाहिए थी व पक्षकार जिसके द्वारा अवैद्य रूप से पेड़ कटाई का कार्य किया जा रहा है उसके विरूद्व नियमानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी।

इसी प्रकार जब वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 19–08–2017 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी तब ऐसी स्थिति में पुनः दिनांक 22–08–2017 को मौका देखे जाने का क्या औचित्य रहा, यह साबित करने में अपीलांट/वन विभाग पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र काल्पनिक कथनों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व धारा 83 से 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में वन विभाग का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 21–02–1994 द्वारा प्रकाशन करते हुए उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित कर दी गई। उपरोक्त भूमि रकबें से चकों में परिवर्तित होने पर गैर विधिक रूप से 1375 बीघा भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वन विभाग से हटाकर आराजीराज दर्ज रिकार्ड कर दी गई व कालान्तर में उक्त भूमि अन्य काश्तकारों को आवंटित कर दी गई। इसी अनुरूप वन विभाग द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में भूमि जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते, का आवंटन अवैध है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब वन विभाग स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा अन्य काश्तकारों को आवंटित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा उक्त आवंटनों व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काश्तकारों द्वारा प्राप्त खातेदारी अधिकारों को खारिज कराने व उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कराने की क्या कार्यवाही आज दिनांक तक की गई है, इस संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में वन विभाग व तहसीलदार द्वारा तमाम कार्यवाही बिना जॉच करते हुए आधारहीन तथ्यों पर सम्पादित कराने की चेष्टा की गई है।। जिसे कानून की दृष्टि से सराहा नहीं जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में बिना किसी युक्तियुक्त व विधिक कारण के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व धारा 83 से 86 आरटीए के तहत कार्यवाही किये जाने की कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों की जॉच करते हुए व उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में उक्त अपील के माध्यम से आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—10—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21—01—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 15:54:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: